

न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन, जिला करौली

पीताम्हीन अधिकारी सुप्रेम कुमार बुचकर आर ए एच

नं० 188/2013

तारीख रणू- 15.10.2013

रमन आदि बनाम सुगर बगै०

दावा दावत रथाई निषेधाज्ञा

निर्णय

09.2019 पत्रावली पेश हुई। दादी व दादी वकील उपस्थित नहीं है। बार-बार बाज दिलाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आया ना ही किसी प्रकार का आवेदन किया गया है। वकील प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने जबाव दावा कोई काउण्टर प्रेम नहीं चाहा गया है।

अतः दादी का दावा धारा 188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम खिलाफ प्रतिवादीगण का अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली शल सुमार होकर दाद तकगील दाखिल दफ्तर हो।


उप जिला अधिकारी
हिण्डौन